

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-91/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० कुमार अभिषेक, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर औरंगाबाद के द्वारा द्वितीय संतान हेतु दिनांक-02.03.2026 से 16.03.2026 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिन उपभोगित अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-91/2026- 1610(2) पटना, दिनांक 16 / 7 / 2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/ डा० कुमार अभिषेक, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wfman 15/7/26
सरकार के उप सचिव
R